परिशिष्ट 'अ'

आय का घोषणा पत्र

(युगल द्वारा भरा जायेगा)

डॉ. सविता बेन अम्बेड़कर अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए

1. पति का नाम..... आयु..... पिता का नाम श्री	2. पत्नि का नाम..... आयु..... पिता का नाम श्री

3. युगल का पूर्ण पता (निवास स्थान):–

.....

4. आय का घोषणा पत्र देने वाले का पैन नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः–

5. आय का घोषणा पत्र देने वाले का आधार नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः–

6. आय का घोषणा पत्र देने वाले का भामाशाह/जनाधार नम्बर (जो स्पष्ट अंकित हो)

पतिः–	पत्निः

7. आय का घोषणा पत्र देने वाले के समस्त स्त्रोतों से सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः– (सम्बधित पर चिन्हित करें, राजकीय सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी किया गया फार्म न. 16 भी संलग्न करें)(पति व पत्नि दोनों के लिए)

पतिः–		पत्निः	
(1) कृषि भूमि(.....) आदि से आय रू.	.....रू.	(1) कृषि भूमि(..) आदि से आय रू.	.....रू.
(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू.	.....रू.	(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आय रू.	.....रू.
(3) वेतन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रू..	.....रू.	(3) वेतन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आय रू..	.....रू.
(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, लाभांश कारोबार, व्यवसाय या ब्याज से आय रू.	.....रू.	(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, लाभांश कारोबार, व्यवसाय या ब्याज से आय रू.	.....रू.
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.	.....रू.	(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.	.....रू.
कुल वार्षिक आय रू.(अंको मे)	.....रू.	कुल वार्षिक आय रू.(अंको मे)	.....रू.

8. पति एवं पत्नि (युगल) की संयुक्त वार्षिक आय (अंकों में):–.....
9. पति एवं पत्नि (युगल) की संयुक्त वार्षिक आय (शब्दों में):–.....

हम शपथपूर्वक उद्घोषणा करते हैं कि मेरी एवं मेरे/मेरी पति/पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.....अक्षरे रू. ..... है। उक्त शपथ–पत्र हमारी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उद्घोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना अथवा किसी तथ्यों में फेरबदल करना, किसी तथ्य को छुपाना, तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करना, सरकार को गुमराह करने का प्रयास करना इत्यादि भारतीय दण्ड संहिता धारा 177, 197, 198, 199, 200 एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। मैं , यह अच्छी तरह समझता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त कृत्य करने पर मेरे विरूद्व उपरोक्त धाराओं में फौजदारी मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा सकती है तथा दोषी पाए जाने पर मुझे 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।

पति के हस्ताक्षर मय दिनांक..... पति का नाम	पत्नि के हस्ताक्षर मय दिनांक ..... पत्नि का नाम.....

Signature valid

Digitally signed by Sanjit Sharma
Designation : Secretary To Government
Date: 2023.08.29 15:02:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4374872